मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय ब्लाक नं.–7, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर– 482008 (म.प्र.)

वेबसाईट – **www.mpez.org**

क्रमांक अ.स./पूर्व क्षेत्र/एच.आर./ला.परि./ जबलपुर दिनांक 14.12.2011

लाईन परिचारक (चतुर्थ श्रेणी) की संविदा नियुक्ति (276 पद) हेतु विज्ञापन

1. मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनी है, में लाईन परिचारक (चतुर्थ श्रेणी) के पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु **मध्यप्रदेश राज्य के मूलनिवासी** इच्छुक उम्मीदवारों से आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में लाईन परिचारक (चतुर्थ श्रेणी) के अनुमानित 276 (संविदा) पदों हेतु वर्गवार/श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार हैः–

विद्युत वितरण कंपनी का नाम	रिक्त पदों की संख्या				कुल पद
	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	पिछड़ा वर्ग	
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. जबलपुर	138	44	55	39	276

नोटः पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

3. **आरक्षणः**

3.1 मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को म.प्र. राज्य शासन के समतुल्य रोस्टर प्रणाली के अनुसार आरक्षण की पात्रता होगी।

3.2 आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीदवार को संबंधित क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. **ऑनलाइन आवेदन कैसे करें** (कृपया निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़े):

आवेदन पत्र केवल एम पी ऑनलाइन की वेबसाइट https://www.mponline.gov.in **पर उपलब्ध हैं। आवेदन एमपीऑनलाइन के अधिकृत** Kiosk **के माध्यम से भी किये जा सकते हैं। एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये** https://www.mponline.gov.in **पर** Authorized Kiosk list link **देखें।**

आवेदन हेतु एमपीऑनलाइन की वेबसाइट https://www.mponline.gov.in **हेतु लिंक विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाईटस्** www.mpez-electricity-discom.nic.in **पर भी उपलब्ध हैं।**

5. **आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभारः**

आवेदन शुल्क रू.250/ (रूपये दो सौ पचास मात्र) अनारक्षित एवं पिछड़ावर्ग के उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट होगी।

यह रिक्तयॉं म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के लिये हैं, अतः **अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्राांतर्गत ही विचार किया जावेगा।**

आवेदन पत्र एमपीऑनलाईन कियोस्क पर नगद भुगतान कर प्रेषित किये जा सकते हैं। ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों को पोर्टल प्रभार रू.60/– का भुगतान पृथक से किया जाना आवश्यक है।

आवेदन शुल्क एवं पोर्टल प्रभार का संक्षिप्त विवरणः

क्रमांक	श्रेणी	आवेदन शुल्क	पोर्टल प्रभार
1	अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के अभ्यर्थी	निरंक	रू.60/–
2	मध्यप्रदेश राज्य के अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	रू.250/–	रू.60/–

6. **शैक्षणिक योग्यताः–**

6.1 उम्मीदवार दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं भारत के किसी राज्य शासन या केन्द्र शासन से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (एस.सी.व्ही.टी./एन.सी.व्ही.टी.) से विद्युतकार/लाईनमेन या वायरमेन में आई.टी.आई. प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। केवल आई.टी.आई. परीक्षा उतीर्ण उम्मीदवार ही आवेदन के लिए पात्र होंगे।

महिला उम्मीदवार जो उपर्युक्त निर्धारित योग्यता धारित करती हैं, वे भी आवेदन कर सकती हैं, तथापि कार्य में जोखिम होने के कारण आवेदन के पूर्व महिला उम्मीदवार इस पहलू पर पूर्ण विचार करें।

सामान्य व पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आई.टी.आई. परीक्षा के निर्धारित ट्रेड (विद्युतकार/लाईनमेन या वायरमेन) में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

उम्मीदवार को मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक हैं। अन्य राज्य के मूल निवासी आवेदन हेतु पात्र नहीं हैं।

6॰2 ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने आईटीआई परीक्षा विद्युतकार/लाईनमेन या वायरमेन ट्रेड से उत्तीर्ण नहीं की है, लेकिन उच्च शिक्षा जैसे कि डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त की है, उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

6॰3 प्राप्त आवेदनों में से आई.टी.आई. (विद्युतकार/लाईनमेन/वायरमेन ट्रेड) में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची (मैरिट लिस्ट) बनायी जावेगी एवं आवश्यकतानुसार पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों को प्रावीण्य सूची (मैरिट लिस्ट) अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को नियुक्त किया जावेगा।

6.4 ऐसे आवेदक जिन्होंने विद्युत वितरण कंपनियों में ठेके पर मीटरवाचक या 33/11 उपकेन्द्र के संचालन (आपरेटर) का कार्य किया है, को कार्य के प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर 2 प्रतिशत की दर से भार (weightage) दिया जावेगा, जो कि अधिकतम 10 प्रतिशत होगा, परन्तु ऐसे आवेदक जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, को छूट की पात्रता नहीं होगी। भार (weightage) की पात्रता केवल ऐसे आवेदकों को होगी जो शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तों को पूर्ण करते हैं।

6.5 म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल में कार्य के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधी परीक्षा में 5 प्रतिशत भार (weightage) दिया जावेगा। भार (weightage) की पात्रता केवल ऐसे अभ्यर्थियों को होगी जो न्यूनतम अर्हकारी अंक, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तों को पूर्ण करते हैं।

6.6 उम्मीदवार को उपर्युक्त कंडिका 6.4 एवं 6.5 के अंतर्गत पात्रता होने की दशा में किसी एक कंडिका के प्रावधानों के अनुसार भार (weightage) का लाभ दिया जावेगा।

7. आयु सीमाः

7.1 आवेदक की आयु दिनांक 1–6–2011 को 18 वर्ष से कम एवं 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ावर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

7.2 ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अनुबंध के आधार पर म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में 33/11 उपकेन्द्र के आपरेटर का कार्य किया है अथवा कर रहे हैं, उन्होंने जितने पूर्ण वर्ष कार्य किया है, उतने वर्ष की अधिकतम आयु में छूट प्राप्त होगी। यद्यपि ऐसे आवेदक जिन्होंने 33/11 उपकेन्द्र के आपरेटर का कार्य 5 वर्ष से अधिक किया है, उन्हें अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्ष की छूट होगी, तथापि आयुसीमा में यह छूट 40 वर्ष की आयु तक ही मान्य होगी। इस हेतु आवेदक को (संबंधित कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) कंपनी के साथ किये गये अनुबंध की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करना होगी। ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, उन्हें छूट की पात्रता नहीं होगी।

7.3 ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अनुबंध के आधार पर म.प्र. राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी वितरण कंपनी में मीटर रीडिंग का कार्य किया है अथवा कर रहे हैं, उन्होंने जितने पूर्ण वर्ष कार्य किया है, उतने वर्ष की अधिकतम आयु में छूट प्राप्त होगी। ऐसे आवेदक जिन्होंने मीटर रीडिंग का कार्य 5 वर्ष से अधिक किया है, उन्हें अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्ष की छूट की होगी, आयुसीमा में यह छूट 40 वर्ष की आयु तक ही मान्य होगी। इस हेतु आवेदक को (संबंधित कनिष्ठ अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित) कंपनी के साथ किये गये अनुबंध की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करना होगी। ऐसे उम्मीदवार जिनका कार्य संतोषजनक न पाये जाने के कारण ठेका निरस्त किया गया हो, उन्हें छूट की पात्रता नहीं होगी।

7.4 म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल/उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्य के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अधिकतम आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। इस हेतु आवेदक को अनुकंपा नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन के संबंध में पावती की एक प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें इस आशय का शपथपत्र संलग्न करना होगा कि – उम्मीदवार मृतक कर्मचारी का आश्रित है।

उम्मीदवार को उपर्युक्त कंडिका 7.2, 7.3 एवं 7.4 के अंतर्गत आयुसीमा में छूट की पात्रता होने की दशा में किसी एक कंडिका के प्रावधानों के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में छूट का लाभ दिया जावेगा।

8. शारीरिक दक्षता परीक्षण पर उपस्थिति के समय उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाणपत्र एवं अंकसूची की मूल प्रतियॉ एक सत्यापित प्रति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य हैः

1. शैक्षणिक योग्यता (10 वीं की अंक सूची)
2. व्यवसायिक योग्यता (आई.टी.आई विद्युत/लाईनमेन/वायरमेन ट्रेड) की अंक सूची एवं प्रमाणपत्र
3. मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाणपत्र

4- जाति प्रमाण पत्र (संबंधित क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ावर्ग के उम्मीदवारों हेतु)

5. **एमपी आनलाईन के कियोस्क के माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र का कम्प्यूटराईज़्ड प्रिंट की मूल प्रति**

6. **एमपी आनलाईन के कियोस्क संचालक द्वारा प्रदत्त भुगतान की कम्प्यूटराईज़्ड रसीद की मूल प्रति**

7. पहचान परिचय पत्र (ड्रायविंग लायसेंस/मतदाता पहचान पत्र/बैंक पासबुक/पासपोर्ट)

यदि लागू हो तो आवेदक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें:

8. ठेके पर कार्य हेतु कंपनी के साथ किये गये अनुबंध की प्रति जो कि मण्डल अथवा वितरण कंपनी के सहायक अभियंता या कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

9. मण्डल में कार्य के दौरान मृत कर्मचारियों के आश्रितों के संबंध में प्रमाण एवं मृतक कर्मचारी के आश्रित होने के संबंध में शपथपत्र

10- शासकीय/अर्द्ध शासकीय एवं निजी (प्रायवेट लिमिटेड) उपक्रम में कार्यरत उम्मीदवार का नियोक्ता द्व ारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र

11. भूतपूर्व सैनिक के संबंध में प्रमाणपत्र

8ण्1 उपर्युक्त प्रमाणपत्रों के सत्यापन पर यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार निर्धारित मापदंड पूर्ण नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।

9. चयन प्रक्रिया:

प्राप्त आवेदनों में से आई.टी.आई. (विद्युत/लाईनमेन/वायरमेन ट्रेड) में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची (मैरिट लिस्ट) बनायी जावेगी एवं आवश्यकतानुसार पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों को प्रावीण्य सूची (मैरिट लिस्ट) अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलाया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय वांछित आवेदन पत्र एवं भुगतान की रसीद का कम्प्यूटराईज़्ड प्रिंट, प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां एवं छाया प्रतियां प्रस्तुत करना होंगी, अन्यथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण में निम्न परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा :

(1) निम्नदाब लाईन के खम्बे पर सीढ़ी की सहायता से टूल–किट एवं रस्सी झूला लेकर 2 मिनिट में चढ़ना एवं उतरना

(2) 15 कि.ग्रा. वजन लेकर 10 मिनिट में 1 कि.मी. पैदल चलना।

कंपनी में उम्मीदवार का अंतिम चयन, शैक्षणिक योग्यता एवं शारीरिक परीक्षण में पृथक–पृथक सफलता के पश्चात तैयार की गई प्रावीण्य सूची (मैरिट लिस्ट) के आधार पर किया जावेगा।

10. चयन एवं नियुक्ति:

अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार को उपस्थिति के समय रू.250/– के नान ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में कंपनी के साथ तीन वर्ष हेतु अनुबंध करना होगा। अनुबंध की राशि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए रू.25000/– एवं अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति के उम्मीदवार के लिए रू.20000/– होगी।

चयनित उम्मीदवारों को कंपनी की आवश्यकतानुसार शिफ़्ट ड्यूटी में कार्य करने हेतु कंपनी के कार्यक्षेत्रांतर्गत किसी भी स्थान पर संविदा आधार पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

11. प्रशिक्षण:

चयनित उम्मीदवारों को 3 माह का प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) दिया जायेगा व प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को प्रशिक्षण अवधि सहित 3 वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्त किया जावेगा।

12. वेतन एवं भत्ते:–

लाईन परिचारक (संविदा) पद के चयनित उम्मीदवारों को संविदा नियुक्ति पर प्रथम वर्ष में निश्चित सकल पारिश्रमिक रू.7000/–, द्वितीय वर्ष रू.8000/– एवं तृतीय वर्ष रू.9000/– प्रतिमाह की दर से पारिश्रमिक देय होगा।

प्रशिक्षण अवधि अथवा प्रशिक्षण अवधि के उपरांत लाईन परिचारक (संविदा) के रूप में अनुबंधित होने पर संबंधित को शासकीय कार्य से यात्रा हेतु कंपनी में लाईन परिचारक स्तर के कर्मचारी के अनुरूप नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता की पात्रता होगी।

13. महत्वपूर्ण तिथियॉ

समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किये जाने की दिनांक	–	**15.12.2011**
ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	–	**30.12.2011**
शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु संभावित तिथि	–	**01.02.2012**

उल्लेखित तिथियों में बिना कारण बताये परिवर्तन किया जा सकेगा।

14. अन्य शर्तेः–

- ऐसे अभ्यर्थी जो किसी शासकीय/अर्धशासकीय या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं, सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु संबंधी मापदण्ड पूर्ण करते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय ऐसे अभ्यर्थी द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अन्यथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलाये जाने पर नियमानुसार न्यूनतम दूरी का द्वितीय (साधारण) श्रेणी का रेल अथवा वास्तविक बस किराया, आवेदन पत्र में अंकित स्थायी पता के आधार पर, मूल टिकिट प्रस्तुत करने पर दिया जावेगा। इस हेतु आवेदक को जाति प्रमाणपत्र की छाया प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद जबलपुर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में ही मान्य होंगे।
- विज्ञापन में रिक्त पदों की अनुमानित संख्या अंकित है, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. अपनी आवश्यकता के अनुरूप पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकती हैं। कंपनी को बिना कारण बताये विज्ञापन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- ऐसे उम्मीदवार जिन्हें दिनांक 26.1.2001 अथवा उसके बाद तृतीय संतान की प्राप्ति हुई हो, को आवेदन की पात्रता नहीं है।
- उम्मीदवार को म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. के कार्यक्षेत्रांतर्गत किसी भी स्थान पर संविदा आधार पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
- यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो ऐसे उम्मीदवार का चयन/नियुक्ति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जावेगी।

अतिरिक्त सचिव
म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि.
जबलपुर